



कार्यालय अंचल अधिकारी, पतरातू (रामगढ़)।

अभिलेख उपस्थापित— इस कार्यालय के पत्रांक— 1023 दिनांक— 02/07/2025 के आलोक में भारतीय स्टेट बैंक पतरातू शाखा में जाकर पंजी— IX एवं पंजी— X का मिलान किया गया। वाद संख्या—19/2016—17 (देवचन्द्र मुण्डा, पिता—स्व० नाथन मुण्डा, ग्राम—तालाटांड पतरातू) के द्वारा इस वाद से संबंधित बकाया राशि का भुगतान बैंक में किया जा चुका है। उक्त के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक पतरातू शाखा के कर्मी द्वारा अंचल कार्यालय के पंजी— IX में प्रश्नगत वाद पर खाता बन्द प्रतिवेदित किया गया है।

अतः इस वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।



11/07/25
नीलाम पत्र पदाधिकारी
—सह—अंचल अधिकारी,
पतरातू (रामगढ़)।